<u>व्यवहार वाद क्रमांक 33अ/15 पक्षकार डॉ. विनोद माटे विरूद्ध भुनेश्वर वर्मा व अन्य</u>

29.03.2022 वादी डॉ. विनोद माटे सहित श्री आर.एस. चंदेल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 1 भुनेश्वर वर्मा सहित श्री विष्णु प्रसाद साव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 2 छ.ग. शासन पूर्व से एकपक्षीय।

इसी स्तर पर श्री आर.एस. चंदेल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभय पक्ष की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.स. राजीनामा हेतु पेश किया।

उभयपक्ष के द्वारा आपस में स्वेच्छया उपरोक्त आवेदन के अनुसार राजीनामा करना व्यक्त किया।

उक्त आवेदन पर सुविधा की दृष्टि से आई.ए. नं. 01 अंकित किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरूद्ध वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव–1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) स्थित खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट पर वादी के स्वामित्व की उद्घोषणा एवं रिक्त कब्जा दिलाये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति जारी करने हेतु पेश किया गया है।

राजीनामा आवेदन आई.ए.नं. 01 के अनुसार प्रतिवादीगण ने यह राजीनामा किया है कि–

1– यह कि, वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव–1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) स्थित खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट = 409.5 वर्गफीट (आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित भाग अनुसार) का एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्रमांक 1 भुनेश्वर वर्मा है।

2– प्रतिवादी क्रमांक 1 वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव–1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) स्थित खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट = 409.5

वर्गफीट (आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित भाग अनुसार) पर राजस्व अभिलेखो पर अपना नामांतरण कराने का अधिकारी है।

3— वादी एवं उसके वारिसानों को वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव—1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) स्थित खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट = 409.5 वर्गफीट (आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित भाग अनुसार) पर भविष्य में कोई हक, दावा एवं आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

चूंकि उक्त राजीनामा उभय पक्ष के द्वारा स्वेच्छया किया गया है। अतः उक्त आवेदन अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.स. आई.ए.नं. 01 स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती हैः—

1— यह कि, वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव—1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) स्थित खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट = 409.5 वर्गफीट (आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित भाग अनुसार) का एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्रमांक 1 भुनेश्वर वर्मा है।

2— प्रतिवादी क्रमांक 1 वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव—1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) स्थित खसरा नम्बर 17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट = 409.5 वर्गफीट (आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित भाग अनुसार) पर राजस्व अभिलेखो पर अपना नामांतरण कराने का अधिकारी है।

3— वादी एवं उसके वारिसानों को वादभूमि चिखली प.ह.नं.27, रा.नि.म. राजनांदगांव—1, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) स्थित खसरा नम्बर

17/2 रकबा 0.77 एकड़ में से 9 गुणा 45.5 फीट = 409.5 वर्गफीट (आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा में लाल स्याही से चिन्हांकित भाग अनुसार) पर भविष्य में कोई हक, दावा एवं आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

4— आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र. सं. आई.ए.नं.01 एवं उसके साथ संलग्न वादपत्र की अनुसूची "अ" का वाद नक्शा डिक्री का भाग होगा।

5— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।

6— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित किये जाने पर सूची अनुसार जो भी कम हो देय हो।

तद्नुसार डिक्री बनायी जावें।

आदेश के अनुसार डिक्री का प्रारूप तैयार किया जाकर तीन दिनों के भीतर पक्षकारों की आपत्ति आहूत की जाये। तत्संबंध में सूचना न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—
(विवेक गर्ग)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
राजनांदगांव (छ.ग.)